"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 10/32/2011/वाक/पांच (42).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अ. क्र. 59 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए—

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	कर की दर (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
60.	ए.सी.एस.आर. कंडक्टर तथा ए.ए.ए. कंडक्टर	5

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-08-2011 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्रमांक एफ. 10/32/2011/वाक/पांच (42).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/32/2011/वाक/पांच (42), दिनांक 26-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 26th July 2011

NOTIFICATION

No. F-10/32/2011/CT/V(42).—In exericse of the powers conferred by section 9 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Ma Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in Schedule-II of the said Act :—

AMENDMENT

After S. No. 59 the following entry shall be added :—

S. No. (1)	Description of goods (2)	Rate of tax (percent) (3)
60.	ACSR Conductor and AAA Conductor	5

2. This notification shall be effective from 01-08-2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 10/32/2011/वाक/पांच (43).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाई गई वस्तुओं की श्रेणी को कॉलम (3) में दर्शाई गई सीमा तक कॉलम (4) में दर्शाई गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	शर्तें एवं निर्बन्धन
1.	ए.सी.एस.आर. कंडक्टर तथा ए.ए.ए. कंडक्टर.	संपूर्ण कर	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान पश्चात् क्रय किया जाए.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-08-2011 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्रमांक एफ. 10/32/2011/वाक/पांच (43).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/32/2011/वाक/पांच (43), दिनांक 26-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 26th July 2011

NOTIFICATION

No. F-10/32/2011/CT/V(43).—In exeriese of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restriction and conditions
1.	ACSR Conductor and AAA Conductor.	Whole of tax	When the goods specified in column (2) are purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 after payment of tax under the said act.

2. This notification shall be effective from 01-08-2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.